Locomotive Works at Varanasi has yet to achieve the rated production capacity. Starting in 1964 with the assembly of Broad Gauge locomotives received in knocked-down condition, subsequently the production was diversified to include the manufacture of Metre Gauge locomotives also (1968). Along with gradually improving production, progressive indigenization has been introduced.

(b) A statement showing the targets of production initially envisaged, the revised figures and actual achievements is placed in the Table of the House. [Placed in Library. *See* No LT-8014/74]

The reasons for Diesel Locomotive Works not achieving the rated production capacity are given below:—

(i) Non-receipt of adequate and timely supplies of electrical traction equipment from M/s. BHEL (since improved);

(ii) tardy development of indigenous sources of supply for basic inputs, *e.g.* castings/forgings etc;

(iii) restricted availability of foreign exchange (tied to specified aid programmes) for imported supplies, and belated/scanty receipts of the latter;

(iv) sporadic incidence of labour indiscipline, (particularly pronounced during last two years);

(v) constraints on power supply and frequent load shedding, necessitating rescheduling of working hours and disjointed functioning of the factory, which had to be put on to single shift working on occasion; and

(vi) diversion of vital supplies to the Railways to meet emergency requirements, and the need to manufacture (apart from 'repair and return') components as "spares parts", not originally envisaged in the Project Report for establishment of the factory.

PAPERS LAID ON THE TABLE

12 hrs.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): इससे पहले कि आप श्री के० आर० गणेश या श्रीमती सुशीला रोहतगी को सभा पटल पर कागज पत्र रखने के लिए कहें इन कागज पत्रों के बारे में मुझे कुछ कहना है। गुजरात के बारे में एक अधिसूचना ऐसी सभा पटल पर रखी जा रही है जिसका केवल अंग्रेजी संस्करण है, हिन्दी अनुवाद नहीं है। श्री गणेश ने कल यह कहा था

"The State Government do not have arrangements for bringing out the authoritative Hindi version of such notifications issued by them."

क्या इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार आशा करती है कि अलग अलग राज्य सरकारें हिन्दी में लिख कर केन्द्र को भेजेंगी ? अब राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। राज्य अपनी अपनी भाषाओं में काम करेंगे। लेकिन उनके द्वारा भेजा गया कोई कागज पत्र अगर यहां सभा पटल पर रखा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कल भी आपने यह सवाल उठाया था। मैंने कहा था कि जो बीज पार्लियामेंट से आए उसके बारे में क्या प्रैक्टिस होनी चाहिये, इसको एग्जेमिन किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा था कि समय कम था। मैंने कहा था कि कोई कायदा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। स्टेट से कागज आते हैं, पार्लियामेंट में उन पर विचार होना होता है तो उसके बारे में प्रोसीजर और प्रैक्टिस वही होनी चाहिये जैसे पार्लियामेंट

अध्यक्ष महोदय

की चलती है । यह चीज जहां सेंट्रल रूल है उस पर भी लागू होती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल आपने कह दिया, आज भी वे अंग्रेजी में ही रख रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रात भर में क्या फर्क पड़ सकता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप नोटिफिकेशन को देखें । यह नौ मई को जारी किया गया था । इनके पास दो महीनों से ज्यादा का समय था । क्या इस बीच इसका हिन्दी अनुवाद नहीं हो सकता था ? सदन में इन्होंने कहा कि आफिशल लैंगुएज लैजिस्लेटिव कमिशन इस लायक नहीं है—(व्यवधान) यह सिलसिला कब तक चलेगा । सदन अपने द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कब तक बरदास्त करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कल आपने यह सवाल उठाया था । सारे सवाल को एग्जैमिन करना है । मैंने कल इस पर अपना रूलिंग भी दिया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप एक तारीख तय कर दें इसके बारे में । उस तारीख के बाद इसको इजाजत नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह बतलाना पड़ेगा कि कितनी देर पहले का कोई कागज है । जो बिलकुल मौके पर आए उसके बारे में सोचा जा सकता है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह कहा गया था कि गुजरात में हिन्दी में अनुवाद करने की कोई व्यवस्था नहीं है । यह सच बात नहीं है । गुजरात में हिन्दी का बहुत प्रभाव है । हिन्दी का अध्ययन वहां बहुत बड़े पैमाने पर होता है । मेरी जानकारी यह है कि गुजरात सरकार हिन्दी के अनुवाद के लिये व्यवस्था है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर है तो भेजा क्यों नहीं ?

श्री पी० जी० मावलंकर : आपके माध्यम से यही तो मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूं । यह प्रश्न बार बार उठाया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात सरकार में यह व्यवस्था है । हिन्दी जानने वालों की गुजरात में लाखों में संख्या है । यह कहना कि गुजरात सरकार में हिन्दी अनुवाद करने वाला ही नहीं, ठीक नहीं है । मैं आग्रह करूंगा कि हिन्दी का अनुवाद गुजरात में होना चाहिये और यहां आना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके यहां व्यवस्था है तो ऐसा ही होना चाहिये ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): May I make one submission? At your level there must be a Committee to see what breaches are committed of the Acts that we pass. Here is a definite one which says that there must be a Hindi translation of all these, and why is it that the Central Government have not taken upon itself the task of translating them in Hindi? This is a constant refrain in the House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नीतिराज सिंह भी एक वक्तव्य रखने वाले हैं, जिस का हिन्दी अनुवाद नहीं रखा जा रहा है । यह विधि मंत्रालय का काम है कि अनुवाद की व्यवस्था को मजबूत करे और कोई भी कागज पत्र सभा पटल पर ऐसा न आने दे जिस का हिन्दी अनुवाद समय में न हो । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था कब तक हो जाएगी ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Why cannot you prevent the Government from committing lapses everyday deliberately

in utter contempt for the Chair and this House? We are now watch-dogs of the people here.

अध्यक्ष महोदय : एक ही बार में कई खड़े हो जाते हैं और जो मर्जी में आता है कहना शुरू कर देते हैं। यह अच्छा नहीं है। कल मैंने इजाजत दे दी थी और उन्होंने रेज इस सवाल को कर दिया था। आज आप सब फिर खड़े हो रहे हैं ——

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप श्रीमती सुशीला रोहतगी को कहिये कि जिस का हिन्दी अनुवाद साथ नहीं है वह कागज आज तो मेज पर रख दें लेकिन कल से आप रखने नहीं देंगे।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) . आपने कल यह कहा था कि शीघ्र से शीघ्र ऐसा कुछ किया जाए ताकि इस तरह की बातें बन्द हों। वैसे श्री मावलंकर ने कहा है कि वहां अनुवाद की व्यवस्था है लेकिन हमारी अधिकृत सूचना यह है कि गुजरात सरकार में हिन्दी में अनुवाद करने की अधिकृत व्यवस्था नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह मामला इस तरह से नहीं चलेगा। कानून हमने किस लिए पास किया है? राज भाषा अधिनियम को पास करने का मतलब क्या था?

श्री पी० जी० मावलंकर . गुजरात में हिन्दी में अनुवाद करने की व्यवस्था है, वहां हिन्दी का अभ्यास है।

अध्यक्ष महोदय : अगर है तो मैं पता करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर गुजरात में नहीं है तो केन्द्र में होना चाहिये। .... (व्यवधान) ....

अध्यक्ष महोदय : मर्जी कितने दिन चलेगी?

श्री हुकम चन्द कछवाय : (मुरैना) : जब तक जिन्दा रहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तमिलनाडू जैसे राज्यों से हम आशा नहीं करते है कि वे हिंदी में भेजें। अनुवाद की जिम्मेदारी केन्द्र की है।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Not only Gujarat but the whole of India is a lover of Hindi.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Let Gujarat have a government, the problem will be solved.

MR. SPEAKER: He says—Mr. Mavalankar, I am sorry my throat is somewhat coarse to-day.

SHRI PILOO MODY (Godhra): On whom were you shouting at?

MR. SPEAKER. Mr. Mavalankar says that there is some arrangement and I will enquire if there is any arrangement in Gujarat

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: That is not the point.

SHRI PILOO MODY: That is irrelevant. The responsibility is that of the *Central Government*

MR. SPEAKER: If there is any arrangement for Hindi translation in Gujarat, it should have been clearly told to them that they send the Hindi version also. Mr. Mavalankar says that there is arrangement.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): The States have no machinery to translate. It is for the Central Government to do it.

MR. SPEAKER: I have given my ruling yesterday and I stick to it.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप एक तारीख तय कर दें। ये रोज रोज अंग्रेजी में लाते रहे और यह मामला रोज उठता रहे, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यहां बैठे बैठे नहीं कर सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज आप इनको रखने से मना कर देंगे तो कल हिन्दी में ये ले आएंगें । आप अपनी ताकत को तो देखिये । इनको रखने से मना कर के आप देखें और आप को पता चल जाएगा कि कल को ये हिन्दी अनुवाद ले आएंगे ।

NOTIFICATINS UNDER CUSTOMS ACT, CENTRAL EXCISE RULES, GUJARAT SALES TAX ACT, ETC.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Sir, On behalf of Shri K. R Ganesh, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of Notification No. G S.R. 307(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 9th July, 1974, under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory memorandum. [*Placed in Library. See* No. LT-7096/74].

(2) A copy of Notification No. G S.R. 275(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 20th June, 1974, issued under the Central Excise Rules, 1944, together with an explanatory memorandum [*Placed in Library See* No. LT-7097/74].

(3) (i) A copy of Notification No. (GHN 261) GST 1074/(S. 49)-(32)-TH published in Gujarat Government Gazette dated the 9th May, 1974 making certain amendments to Notification No. (GHN 627) GST 1070/(S. 49)—TH dated the 29th April, 1970, under sub-section (3) of section 49 of the Gujarat Sales Tax Act, 1969, read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 9th February, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Notification.

(4) (i) A copy of the Gujarat Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1974, published in Notification No (GHN 266) GSR-1074/(13)TH in Gujarat Government Gazette dated the 29th May, 1974, under sub-section (5) of section 86 of the Gujarat Sales Tax Act, 1969 read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 9th February, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Notification.

(5) (i) A copy of the Bombay Sales of Motor Spirit Taxation (Gujarat Third Amendment) Rules, 1974, published in Notification No. (GHN—264) MSA-1074/(22)-TH in Gujarat Government Gazette dated the 21st May, 1974, under sub-section (4) of section 36 of the Bombay Sales of Motor Spirit Taxation Act, 1958, read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 9th February, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Hindi version of the above